प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जनपद अमेठी।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांक– एन0एच0एम0 / सहयो.पर्य. / वाहन सूचना / 2019–20 / 1921 दिनांक– 19.07.2019

विषय– वित्तीय वर्ष 2019–20 में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अंतर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार आवंटित धनराशि के व्यय, वाहनों के अनुबन्धन की सूचना एवं सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या एस.पी.एम.यू. / एन.एच.एम. / एम एण्ड ई / 2019–20 / 01 / 3476–2 दिनांक 17.07.2019 के कम में अवगत कराना है कि सहयोगत्मक पर्यवेक्षण कार्यकम के अन्तर्गत जनपद में 13 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 01–01 वाहन तथा जिला मुख्यालय पर 02 वाहन संचालित है जो कि टैक्सी परमिट युक्त है तथा चालक कर्मिशियल लाइसेंस धारक है। संचालित वाहनों की सूचना व निविदा उपरान्त किये गये अनुबन्ध की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 आर0एम0श्रीवास्तव)
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जनपद अमेठी।

पत्रांक– एन0एच0एम0 / सहयो.पर्य. / वाहन सूचना / 2019–20 / तद्दिनांक–
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. जिलाधिकारी /अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति जनपद अमेठी।
3. मण्डलीय कार्यकम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अयोध्या मण्डल अयोध्या।
4. जिला कार्यकम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन , जनपद अमेठी।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जनपद अमेठी।

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जनपद अमेठी।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांक– एन0एच0एम0/सहयो.पर्य./वाहन सूचना/2019–20/1921 दिनांक– 19.07.2019

विषय– वित्तीय वर्ष 2019–20 में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अंतर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार आवंटित धनराशि के व्यय, वाहनों के अनुबन्धन की सूचना एवं सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./एम एण्ड ई/ 2019–20 / 01 /3476–2 दिनांक 17.07.2019 के क्रम में अवगत कराना है कि सहयोगत्मक पर्यवेक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में 13 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 01–01 वाहन तथा जिला मुख्यालय पर 02 वाहन संचालित है जो कि टैक्सी परमिट युक्त है तथा चालक कर्मिशियल लाइसेंस धारक है। संचालित वाहनों की सूचना व निविदा उपरान्त किये गये अनुबन्ध की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 आर0एम0श्रीवास्तव)
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जनपद अमेठी।

पत्रांक– एन0एच0एम0/सहयो.पर्य./वाहन सूचना/2019–20/1921 तद्दिनांक–
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. जिलाधिकारी /अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति जनपद अमेठी।
3. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अयोध्या मण्डल अयोध्या।
4. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन , जनपद अमेठी।
5. अधीक्षक, सामु० स्वा० केन्द्र जनपद- अमेठी

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जनपद अमेठी।

मूल्यांकन एवं अनुश्रवण कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्लाक स्तरीय अधिकारियों हेतु समस्त सामु0स्वा0केन्द्रों पर लगे 13 वाहनों की सूची

क्र0 सं0	सामु0 / प्रा0स्वा0 केन्द्र का नाम	वाहन संख्या	गाड़ी का माडल व मेक	टैक्सी परमिट संख्या	वाहन स्वामी का नाम
1	अमेठी	UP36D9222	BOLERO	CC/STA/UP/2018/00194	विवेक चन्द्र मिश्रा
2	भादर	UP36A6256	BOLERO	CC/STA/UP/2016/05235	वीरेन्द्र कुमार
3	जगदीशपुर	UP32HN7395	BOLERO	UP/32/AITP/2017/1928	चन्द पतीयादव
4	तिलोई	UP44AT0065	BOLERO	CC/STA/UP/2016/04419	जाहिन हुसैन
5	सिंहपुर	UP36KN8228	BOLERO	UP/32/AITP/2018/2029	विपिन मिश्रा
6	गौरीगंज	UP32LN6333	BOLERO	CC/STA/UP/2019/01227	अनिल सिंह
7	जामों	UP44T9087	BOLERO	CC/STA/UP/2015/04879	राजन कुमार
8	संग्रामपुर	UP32JN9683	BOLERO	CC/STA/UP/2018/00928	आशा सिंह
9	भेंटुआ	UP44AT1270	BOLERO	CC/STA/UP/2017/04058	रामकृपाल
10	मुसाफिरखाना	UP36T3402	BOLERO	CC/STA/UP/2018/05461	पंकज कुमार तिवारी
11	शाहगढ	UP32HP1800	BOLERO	CC/STA/UP/2017/02932	अरूण कुमार
12	फुरसतगंज	UP33AT5339	BOLERO	CC/STA/Up/2016/05507	दिलीम सिंह
13	बाजारशुकुल	UP44T8007	BOLERO	UP/42/102/AITP/2014/78	जे0एस0 पाण्डेय

मूल्यांकन एवं अनुश्रवण कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद स्तरीय अधिकारियों हेतु लगे 02 वाहनों की सूची

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	वाहन संख्या	गाड़ी का माडल व मेक	टैक्सी परमिट संख्या	वाहन स्वामी का नाम
1	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अमेठी	UP36D1876	BOLERO	CC/STA/UP/2017/06888	शिवकुमारी यादव
2		UP36T2436	BOLERO	CC/STA/UP/2017/06574	भगौती प्रसाद

RM

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जनपद–अमेठी।

मूल्यांकन एवं अनुश्रवण कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्लाक स्तरीय अधिकारियों हेतु समस्त सामु0स्वा0केन्द्रों पर लगे 13 वाहनों की सूची

क0 सं0	सामु0 / प्रा0स्वा0 केन्द्र का नाम	वाहन संख्या	गाड़ी का माडल व मेक	टैक्सी परमिट संख्या	वाहन स्वामी का नाम
1	अमेठी	UP36D9222	BOLERO	CC/STA/UP/2018/00194	विवेक चन्द्र मिश्रा
2	भादर	UP36A6256	BOLERO	CC/STA/UP/2016/05235	वीरेन्द्र कुमार
3	जगदीशपुर	UP32HN7395	BOLERO	UP/32/AITP/2017/1928	चन्द पतीयादव
4	तिलोई	UP44AT0065	BOLERO	CC/STA/UP/2016/04419	जाहिन हुसैन
5	सिंहपुर	UP36KN8228	BOLERO	UP/32/AITP/2018/2029	विपिन मिश्रा
6	गौरीगंज	UP32LN6333	BOLERO	CC/STA/UP/2019/01227	अनिल सिंह
7	जामों	UP44T9087	BOLERO	CC/STA/UP/2015/04879	राजन कुमार
8	संग्रामपुर	UP32JN9683	BOLERO	CC/STA/UP/2018/00928	आशा सिंह
9	भेंटुआ	UP44AT1270	BOLERO	CC/STA/UP/2017/04058	रामकृपाल
10	मुसाफिरखाना	UP36T3402	BOLERO	CC/STA/UP/2018/05461	पंकज कुमार तिवारी
11	शाहगढ	UP32HP1800	BOLERO	CC/STA/UP/2017/02932	अरूण कुमार
12	फुरसतगंज	UP33AT5339	BOLERO	CC/STA/Up/2016/05507	दिलीम सिंह
13	बाजारशुकुल	UP44T8007	BOLERO	UP/42/102/AITP/2014/78	जे0एस0 पाण्डेय

मूल्यांकन एवं अनुश्रवण कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद स्तरीय अधिकारियों हेतु लगे 02 वाहनों की सूची

क0 सं0	कार्यालय का नाम	वाहन संख्या	गाड़ी का माडल व मेक	टैक्सी परमिट संख्या	वाहन स्वामी का नाम
1	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अमेठी	UP36D1876	BOLERO	CC/STA/UP/2017/06888	शिवकुमारी यादव
2		UP36T2436	BOLERO	CC/STA/UP/2017/06574	भगौती प्रसाद

RM

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जनपद–अमेठी।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BP 361613

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्ष — मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति जनपद अमेठी।
द्वितीय पक्ष (सेवा प्रदाता) — मेसर्स आशीष ट्रेडर्स, नौबस्ता, जनपद सुलतानपुर।

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति जनपद अमेठी द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के संचालन के सम्बन्ध में वाहन आपूर्ति हेतु आज दिनांक 31-03-18 को जनपद अमेठी में सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि 01-04-18 से 31.03.2019 होगी।

1. द्वितीय पक्ष जनपद अमेठी के समस्त 13 विकास खण्डों में प्रति ब्लाक 02 टैक्सी परमिट कामर्शियल वाहन (बोलेरो, टवेरा, स्कर्पियो इत्यादि (6+1 सीटर) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के संचालन हेतु वाहन की आपूर्ति के सम्बन्ध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा।

(क) सेवा प्रदाता द्वितीय पक्ष द्वारा अनुमोदित निविदा में अंकित वाहनों के अनुसार वाहन उपलब्ध करायेगा जिस हेतु प्रथम पक्ष द्वारा रू0 27500/– प्रति टैक्सी परमिट कामर्शियल वाहन प्रतिमाह की दर से प्रति वाहन सेवा प्रदाता एजेन्सी को सम्बन्धित सामु0स्वा0केन्द्र के अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी के उपलब्ध कराये गये कार्य सत्यापन प्रमाण पत्र के आधार पर करेगा।

(ख) वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यता होनी चाहिए।

- वाहनों में जी0पी0आर0एस0 उपकरण लगा होना चाहिए, भुगतान देयक के साथ जी0पी0आर0एस0 के डाटा का प्रिन्ट आउट लगा होना अनिवार्य है। सेवा प्रदाता का भुगतान मासिक आधार पर किया जायेगा। बिल/भुगतान देयक के साथ लाग बुक/ड्यूटी स्लिप तथा आर0बी0एस0के टीम लीडर द्वारा हस्ताक्षरित जी0पी0आर0एस0 डाटा का प्रिन्ट आउट की प्रति के साथ देयक प्रपत्र प्राप्त होने पर ही अधीक्षक सामु0स्वा0केन्द्र द्वारा भुगतान किया जायेगा।
- वाहनों में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर0बी0एस0के0) का लोगो अंकित होना चाहिए।
- वाहन टैक्सी परमिट युक्त कामर्शियल वाहन के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, तथा वर्ष 2014 से पुराना वाहन न हों।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थो या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी द्वितीय पक्षकार (सेवा प्रदाता) व बीमा कम्पनी द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स कम्पनी की होगी।

31-3-18

[illegible]

29 – 3 – 2018

बद्रा ... विक्रेता
कचेह ... पुर
ला० नं०- C-6/19

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 361614

(ग) वाहन का पूर्ण बीमा, टैक्सी में पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि अपडेट होना अनिवार्य है। वाहन चालक के पास कामर्शियल ड्राइविंग लाइसेन्स होना अनिवार्य है।

(घ) वाहन के संचालन (वाहन चालक की मजदूरी) एवं रख–रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।

(च) वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रख–रखाव द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशॉप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्ष को रू0 1000/– अथवा यथोचित अर्थदण्ड प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

(छ) माह में कम से कम 25 दिन वाहन सम्बन्धित कार्य स्थल पर उपलब्ध होना चाहिए तथा आर0बी0एस0के0 टीम के विजिट पर न जाने की स्थिति में प्रशासनिक कार्य हेतु उपयोग किया जा सकता है।

2. द्वितीय पक्ष धरोहर राशि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रू0 429000/– की धरोहर राशि बैकर्स चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट/किसी राष्ट्रीय कृत बैंक द्वारा जारी बैंक गारण्टी कान्ट्रैक्ट होने के 07 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा उक्त धरोहर राशि की समयावधि कार्य अनुबन्ध की समाप्ति की तिथि से 60 दिन अधिक होगी। जिससे कि यदि सेवाप्रदाता का अनुबन्ध बढाया जा सके तथा जो किसी भी पक्ष के द्वारा 01 माह के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।
3. सेवा प्रदाता को उपलबध कराये गये टैक्सी परमिट कामर्शियल वाहनों का माडल, निमार्ण वर्ष, पंजीकरण नम्बर इन्श्योरेन्स वाहन स्वामी का नाम व पूर्ण विवरण उपलब्ध कराना होगा।
4. निविदा में प्राप्त दर की स्वीकार्यता सेवा प्रदाता को न्यूनतम 02 वर्ष हेतु देना होगा।
5. द्वितीय पक्ष प्रत्येक दिन प्रातः 9:00 बजे (सामु0स्वा0केन्द्र पर पहुचने पर) वाहन का किसी अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी की देख–रेख में नोट किया जायेगा तथा उसी समय अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी से लाग बुक पर हस्ताक्षर कराया जायेगा। इस रीडिंग को सायंकाल 6 बजे के बाद वापस आने का किमी0 पुनः लागबुक पर नोट कर अधीक्षक/प्र0चि0 अधिकारी से लाग बुक पर हस्ताक्षर कराया जायेगा।
6. द्वितीय पक्ष को वाहन चलाने वाले चालक का नाम तथा मोबाइल नम्बर विकास खण्ड मुख्यालय स्थित/सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्रों में सूचना पट पर अंकित किया जाय, तथा सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्र पर उपलब्ध कराये गये वाहन/चालक की सूचना प्रथम पक्ष को देनी होगी।
7. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निस्पादन करने हेतु निर्देश दे सकें। सेवाप्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाईयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का मोबाइल/लैण्ड लाइन नं0 तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नं0 दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
8. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लाइसेन्स होना अनिवार्य है द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रण कर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन

31.3.18

22/55 शपथित नं (22)

29-3-2018

बद्री प्रसाद स्टाम्प विक्रेता

[illegible] पुर

[illegible]

चालक कभी भी नसे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करें ऐसा पाये जाने पर धरोहर राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

9. एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 9 :00 बजे से सायं 6: 00 बजे तक वाहन उपलब्ध कराने पर नियत भुगतान किया जायेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लाग बुक एवं जी0पी0एस0 डाटा की प्रिन्ट आउट के साथ अधीक्षक/प्र0चिकित्साधिकारी से सत्यापित कराकर द्वारा उचित माध्यम आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा भुगतान सुनिश्चित कराया जायेगा।
10. वाहन की छोटी–मोटी टूट–फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी बड़ी टूट फूट भी 24 घंटे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष को होगा।
11. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यकमों/योजनाओं के प्रचार सामाग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।
12. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।
13. अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा सम्बन्धित जनपद के न्यायालय में होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों का मान्य होगा।
14. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा सन्तोष जनक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकेगा एवं स्पष्टीकरण का जवाब सन्तोषजनक नहीं पायी जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिवस की नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।
15. यदि वाहन/वाहन चालक परिवर्तित की जाती है तो उसकी पूर्ण सूचना/विवरण 02 दिवस पूर्व देनी होगी। वाहन चालक समुचित ड्रेस में कार्य समय में उपस्थित रहेगें।
16. जिला स्वास्थ्य समिति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जनपद अमेठी के पास जनहित/कार्यहित में समय–समय पर आवश्यक निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार रहेगा।
17. इनकमटैक्स एक्ट के अनुसार टी0डी0एस0 की कटौती सेवाप्राता के भुगतान से की जायेगी।
18. वाहन द्वारा कम से कम 1000 किमी0 प्रतिमाह चलना आवश्यक होगा। गैरेज से गैरेज अधिकतम 20 किमी0 अतिरिक्त अनुमन्य होगा।
19. सभी वाहनों में सफेद सीट कवर लगा होना चाहिए तथा समय–समय व धुला व बदला जाना चाहिए। वाहन का मीटर सही तरीके से कार्य करता रहे तथा उसके अनुसार वाहन चालक द्वारा लागबुक मेनटेन किया जाय।
20. सेवाप्रदाता को जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्धारित समय व शिड्यूल का कड़ाई से पालन करना होगा। यदि शिड्यूल/समय के पालन में किसी प्रकार की देरी होती है तो जिला स्वास्थ्य समिति को अधिकार होगा कि–
    (A) Hire the Taxi elsewhere at the cost and risk of the agency plus Rs 1000/- per shall be deducted from the bill as penalty
    (B) Cancel the contract without prejudice to the right under (a) at above and also forfeit the earnest money/security deposit.
21. शनिवार को टीम स्कूल/आंगनवाड़ी में विजिट नहीं करेगी परन्तु उपचार हेतु सन्दर्भित बच्चों चिकित्सालय लाना तथा आवश्यकता पड़ने पर जिला चिकित्सालय ले जाना होगा।

स्थान– अमेठी

दिनांक– 31.3.18

हस्ताक्षर

31-3-18

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य सोसाइटी अमेठी (प्रथम पक्ष)

हस्ताक्षर

सेवा प्रदाता द्वितीय पक्ष

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
पचास रुपये रू.50
FIFTY RUPEES Rs.50
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 361611

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्ष मुख्य चिकित्सा अधिकारी /सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति जनपद अमेठी।
द्वितीय पक्ष (सेवा प्रदाता) मेसर्स आशीष ट्रेडर्स, नौबस्ता, जनपद सुलतानपुर।

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति जनपद अमेठी द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मूल्यांकन एवं अनुश्रवण कार्यक्रम हेतु वाहन आपूर्ति हेतु आज दिनांक 31-03-18 को जनपद अमेठी में सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि 01-04-18 से 31.03.2019 होगी।

1. द्वितीय पक्ष जनपद अमेठी के समस्त 13 विकास खण्डों में प्रति ब्लाक 01 तथा जिला मुख्यालय पर 02 टैक्सी परमिट कामर्शियल वाहन (बोलेरो, टवेरा, स्कर्पियो इत्यादि (6+1 सीटर) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मूल्यांकन एवं अनुश्रवण कार्यक्रम हेतु वाहन की आपूर्ति के सम्बन्ध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा।

(क) सेवा प्रदाता द्वितीय पक्ष द्वारा अनुमोदित निविदा में अंकित वाहनों के अनुसार वाहन उपलब्ध करायेगा जिस हेतु प्रथम पक्ष द्वारा रू0 27500/– प्रति टैक्सी परमिट कामर्शियल वाहन प्रतिमाह की दर से प्रति वाहन सेवा प्रदाता एजेन्सी को सम्बन्धित सामु0स्वा0केन्द्र के अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी के उपलब्ध कराये गये कार्य सत्यापन प्रमाण पत्र के आधार पर करेगा।

(ख) वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यता होनी चाहिए।

- वाहनों में जी0पी0आर0एस0 उपकरण लगा होना चाहिए, भुगतान देयक के साथ जी0पी0आर0एस0 के डाटा लगा होना अनिवार्य है। सेवा प्रदाता का भुगतान मासिक आधार पर किया जायेगा। बिल/भुगतान देयक के साथ लागबुक/ड्यूटी स्लिप तथा सम्बन्धित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जी0पी0आर0एस0 डाटा की प्रति प्रति के साथ देयक प्रपत्र प्राप्त होने पर ही अधीक्षक सामु0स्वा0केन्द्र द्वारा भुगतान किया जायेगा।
- वाहनों में मूल्यांकन एवं अनुश्रवण कार्यक्रम (एन0एच0एम0) अंकित होना चाहिए।
- वाहन टैक्सी परमिट युक्त कामर्शियल वाहन के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, तथा वर्ष 2014 से पुराना वाहन न हों।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।

31-3-18

द० M/S. आशीष ट्रेडर्स मौअरवा भरथौली सुलतानपुर
द०

29-3-2018

[illegible]
[illegible]
रजि० नं०-[illegible]119

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 | भारत | FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश • UTTAR PRADESH BP 361612

किसी प्रकार की [illegible] होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी द्वितीय पक्षकार (सेवा प्रदाता) व बीमा कम्पनी द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स कम्पनी की होगी।

(ग) वाहन का पूर्ण बीमा, ठैक्सी में पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि अपडेट होना अनिवार्य है। वाहन चालक के पास कामर्शियल ड्राइविंग लाइसेन्स होना अनिवार्य है।

(घ) वाहन के संचालन (वाहन चालक की मजदूरी) एवं रख–रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।

(च) वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रख–रखाव द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशॉप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्ष को रू0 1000/– अथवा यथोचित अर्थदण्ड प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

(छ) माह में कम से कम 25 दिन वाहन सम्बन्धित कार्य स्थल पर उपलब्ध होना चाहिए तथा भ्रमण कर्ता अधिकारी के विजिट पर न जाने की स्थिति में प्रशासनिक कार्य हेतु उपयोग किया जा सकता है।

2. द्वितीय पक्ष धरोहर राशि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रू0 247500/– की धरोहर राशि बैकर्स चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट/किसी राष्ट्रीय कृत बैंक द्वारा जारी बैंक गारण्टी कान्ट्रैक्ट होने के 07 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा उक्त धरोहर राशि की समयावधि कार्य अनुबन्ध की समाप्ति की तिथि से 60 दिन अधिक होगी। जिससे कि यदि सेवाप्रदाता का अनुबन्ध बढाया जा सके तथा जो किसी भी पक्ष के द्वारा 01 माह के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।

3. सेवा प्रदाता को उपलबध कराये गये टैक्सी परमिट कामर्शियल वाहनों का माडल, निमार्ण वर्ष, पंजीकरण नम्बर इन्श्योरेन्स वाहन स्वामी का नाम व पूर्ण विवरण उपलब्ध कराना होगा।

4. निविदा में प्राप्त दर की स्वीकार्यता सेवा प्रदाता को न्यूनतम 02 वर्ष हेतु देना होगा।

5. द्वितीय पक्ष प्रत्येक दिन प्रातः 9:00 बजे (सामु0स्वा0केन्द्र पर पहुचने पर) वाहन का किसी अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी की देख–रेख में नोट किया जायेगा तथा उसी समय अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी से लाग बुक पर हस्ताक्षर कराया जायेगा। इस रीडिंग को सायंकाल 6 बजे के बाद वापस आने का किमी0 पुनः लागबुक पर नोट कर अधीक्षक से लाग बुक पर हस्ताक्षर कराया जायेगा।

6. द्वितीय पक्ष को वाहन चलाने वाले चालक का नाम तथा मोबाइल नम्बर विकास खण्ड मुख्यालय स्थित/सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्रों में सूचना पट पर अंकित किया जाय, तथा सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्र पर उपलब्ध कराये गये वाहन/चालक की सूचना प्रथम पक्ष को देनी होगी।

7. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निस्पादन करने हेतु निर्देश दे सकें। सेवाप्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाईयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का मोबाइल/लैण्ड लाइन नं0 तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नं0 दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

31-3-19

21/55 प्रविष्टि नं. 20

29-3-2018

8. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लाइसेन्स होना अनिवार्य है द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रण कर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नसे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करें ऐसा पाये जाने पर धरोहर राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
9. एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 9 :00 बजे से सायं 6: 00 बजे तक वाहन उपलब्ध कराने पर नियत भुगतान किया जायेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लाग बुक के साथ अधीक्षक/प्र0चिकित्साधिकारी से सत्यापित कराकर द्वारा उचित माध्यम आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा भुगतान सुनिश्चित कराया जायेगा।
10. वाहन की छोटी–मोटी टूट–फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी बड़ी टूट फूट भी 24 घंटे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष को होगा।
11. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामाग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।
12. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।
13. अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा सम्बन्धित जनपद के न्यायालय में होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों का मान्य होगा।
14. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा सन्तोष जनक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकेगा एवं स्पष्टीकरण का जवाब सन्तोषजनक नहीं पायी जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिवस की नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।
15. यदि वाहन/वाहन चालक परिवर्तित की जाती है तो उसकी पूर्ण सूचना/विवरण 02 दिवस पूर्व देनी होगी। वाहन चालक समुचित ड्रेस में कार्य समय में उपस्थित रहेगें।
16. जिला स्वास्थ्य समिति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जनपद अमेठी के पास जनहित/कार्यहित में समय–समय पर आवश्यक निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार रहेगा।
17. इनकमटैक्स एक्ट के अनुसार टी0डी0एस0 की कटौती सेवाप्राता के भुगतान से की जायेगी।
18. वाहन द्वारा कम से कम 1500 किमी0 प्रतिमाह चलना आवश्यक होगा। गैरेज से गैरेज अधिकतम 20 किमी0 अतिरिक्त अनुमन्य होगा।
19. सभी वाहनों में सफेद सीट कवर लगा होना चाहिए तथा समय–समय व धुला व बदला जाना चाहिए। वाहन का मीटर सही तरीके से कार्य करता रहे तथा उसके अनुसार वाहन चालक द्वारा लागबुक मेनटेन किया जाय।
20. सेवाप्रदाता को जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्धारित समय व शिड्यूल का कड़ाई से पालन करना होगा। यदि शिड्यूल/समय के पालन में किसी प्रकार की देरी होती है तो जिला स्वास्थ्य समिति को अधिकार होगा कि–
    (A) Hire the Taxi elsewhere at the cost and risk of the agency plus Rs 1000/- per shall be deducted from the bill as penalty
    (B) Cancel the contract without prejudice to the right under (a) at above and also forfeit the earnest mone/security deposit.
21. शनिवार को टीम स्कूल/आंगनवाड़ी में विजिट नहीं करेगी परन्तु उपचार हेतु सन्दर्भित बच्चों चिकित्सालय लाना तथा आवश्यकता पड़ने पर जिला चिकित्सालय ले जाना होगा।

स्थान– अमेठी
दिनांक– 31.3.18

हस्ताक्षर
31.3.18
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सदस्य सचिव जिला
स्वास्थ्य सोसाइटी अमेठी (प्रथम पक्ष)

हस्ताक्षर

सेवा प्रदाता द्वितीय पक्ष